

विधान परिषद् के प्रथम सत्र-2024 के प्रथम शुक्रवार के लिए निर्धारित डा0 मानवेन्द्र प्रताप सिंह, 'गुरु जी', मा0 सदस्य, विधान परिषद् द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-20 का उत्तर:-

	प्रश्न	उत्तर
20(क)	क्या उच्च शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि उच्च शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों की भर्ती हेतु 100 प्वाइंट रोस्टर ही लागू है?	जी हाँ
(ख)	यदि हाँ, तो क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया था कि 100 प्वाइंट रोस्टर विषयों के नामों को हिन्दी भाषा में एवं हिन्दी वर्णमाला (अ, आ, इ, ई.) के अनुसार लिखा जाना चाहिए था।	केन्द्रीय शैक्षिक संस्थाओं में अध्यापन पदों पर आरक्षण क्रियान्वित किये जाने के लिये भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों/केन्द्रीय शैक्षिक संस्थाओं को एक इकाई मानते हुए केन्द्रीय शैक्षिक संस्था (अध्यापक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2019 अधिसूचित किया गया। उक्त के क्रम में राज्य विश्वविद्यालयों तथा अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को एक इकाई मानते हुए सीधी भर्ती के अध्यापन पदों पर आरक्षण लागू किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य शैक्षिक संस्था (अध्यापक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2021 का प्रख्यापन किया गया। उपर्युक्त राज्य अधिनियम के अन्तर्गत शासनादेश सं0-1190/सत्तर-1-2021-16(29)/2019 दिनांक 03.01.2022 द्वारा राज्य विश्वविद्यालयों तथा अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को एक इकाई मानते हुए उनके विभागों के नाम को हिन्दी वर्णमाला के वर्णानुक्रम अर्थात् अ, आ, इ, ई..... के क्रम में व्यवस्थित कर सीधी भर्ती के अध्यापन पदों पर आरक्षण लागू किये जाने समस्त राज्य विश्वविद्यालयों एवं निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज को निर्देशित किया गया है।
(ग)	क्या वास्तव में विषयों को हिन्दी भाषा में इसी क्रम में रोस्टर में लिखा गया है?	राज्य विश्वविद्यालयों एवं निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 (महाविद्यालयों के संबंध में) को विभागों के नामों को हिन्दी वर्णमाला के वर्णानुक्रम अर्थात्

		अ, आ, इ, ई..... के क्रम में व्यवस्थित कर सीधी भर्ती के अध्यापन पदों पर आरक्षण लागू किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
(घ)	जैसा कि रोस्टर में बी०एड० शब्द को एक विषय के रूप में वर्णित किया गया है, क्या बी०एड० वास्तव में एक विषय है या पाठ्यक्रम?	बी०एड० एक पाठ्यक्रम है।
(ङ)	क्या बी०एड० को हिन्दी भाषा के शब्द के रूप में उल्लिखित किया गया है, क्या बी०एड० (Bachelor of Education) जो कि अंग्रेजी भाषा का शब्द है, को हिन्दी में लिख देने मात्र से वह हिन्दी भाषा का शब्द बन जायेगा।	बी०एड० पाठ्यक्रम के शिक्षकों के लिये उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 03.01.2022 के प्राविधानों के आलोक में विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों के सीधी भर्ती के पदों के रोस्टर को नियमानुसार तैयार किये जाने के सम्बन्ध में गठित समिति की संस्तुति प्राप्त होने पर यथावश्यक कार्यवाही की जायेगी।
(च)	जब रोस्टर में Economics विषय को अर्थशास्त्र Law को विधि English विषय को अंग्रेजी, Commerce को वाणिज्य आदि सभी विषयों को हिन्दी में प्रयोग किया गया है तो बी० एड० (B.Ed) के विषय को स्नातक शिक्षा क्यों नहीं लिखा जाना चाहिए?	उपरोक्तानुसार।
(छ)	क्या उपरोक्त उल्लिखित अशुद्धियों (गलत विषय का नाम एवं गलत भाषा का प्रयोग) को कितने समय के भीतर दूरकर रोस्टर को ठीक कराना सम्भव होगा।	उपरोक्तानुसार।
(ज)	यदि हाँ, तो उक्त रोस्टर को कब तक ठीक कराकर उसकी सूचना सदन की मेज पर रखेंगे?	उपरोक्तानुसार।

योगेन्द्र उपाध्याय
मंत्री।